निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 60 /अपील/20

देवकरण पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी बरेड़ी तहसील असनावर (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी असनावर (रेस्पो0)

अपील बनाराजगी आदेश क्षेत्रीय वन अधिकारी,असनावर मिसल न0 59/असनावर/17 दिनांक 26.12.2017

उपस्थितः— महेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार क्षेत्रीय वन अधिकारी की और से

—: निर्णय :— **दिनांकः 10.11.2020**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्रीय वन अधिकारी,असनावर के आदेश दिनांक 26.12.2017 जो मिसल न0 59/असनावर/17 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम गउपुरा के आराजी ख0न0 354 रकबा 02 बीघा पर का अतिक्रमी मानकर 200/—रू शास्ती व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एंव पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट पर नोटिस की तामील विधिवत रूप से नही करवाई गई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही देकर सजायाब किया है, अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही है पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निणय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में कब्जा हटा लिया गया है किन्तु उसके द्वारा वनखण्ड मानकुण्ड की ग्राम गउपुरा की आराजी पर अतिक्रमण किये जाने पर सजायाब किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा जिस वनखण्ड क्षेत्र की आराजी पर अतिक्रमण किया गया है उक्त भूमि का उसके पास राज पट्टा नही है,अतिक्रमी होने पर ही क्षेत्रीय वन अधिकारी असनावर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि दौराने सुनवाई पेरोकार सरकार द्वारा अतिक्रमी का उक्त आराजी पर से कब्जा मौके पर से कब्जा हटा लेने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/— रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वंय का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वंय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़